दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 26 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 150

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

इंडियन एंबेसी की अपील, हमारे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे यूक्रेन सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की मदद के लिए अब भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस से अपील की है। कीव में भारतीय एंबेसी ने प्रेसिडेंट ऑफिस को पत्र लिखकर कहा है कि वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जरूरी राशन और दूसरी सुविधाएं भी यूक्रेन सरकार मुहैया कराए। पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन के कई इलाकों में 15 हजार से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन सरकार को उनके सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और वे जहां भी हैं, वहीं रुके रहें, इसका इंतजाम भी दुरूस्त करना चाहिए। एंबेसी ने अपील की है कि फंसे हुए छात्रों के लिए खाना-पानी और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एंबेसी के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। यूक्रेन का एयरस्पेस बंद होने के बाद भारत की तरफ से वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम बंद हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को बाहर निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लगभग 18 हजार नागरिक अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो किसी मदद के इंतजार में हैं। भारतीय छात्र लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर कर मदद की गुहार लगा रहे हैं।

यूक्रेन से फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए हम तैयार : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वाणिज्यिक विमानों के साथ एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार है। श्रृंगला ने कहा, विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के संपर्क में है। हमने उनसे कहा है कि हमें एयरलिफ्ट के लिए प्रावधानों की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में भारतीय वायुसेना वाणिज्यिक विमानों के साथ जा सकती है .. सभी विकल्प मेज पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी निकासी है। विदेश सचिव ने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में एक शिविर स्थापित करने के लिए अपने पोलिश, रोमानियाई, हंगरी और स्लोवाकियाई समकक्षों से बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि दुबई और इस्तांबुल के माध्यम से उड़ान विकल्प उपलब्ध हैं और यूक्रेन में भारतीय दूतावास का संचालन जारी है।

यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को अहम निर्देश जारी

अल्मोड़ा (आरएनएस)। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। यूक्रेन में बनी गंभीर स्थिति के बीच वहां फंसे लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। एडीएम सीएस मर्तोलिया ने बताया कि राज्य से विभिन्न कार्यों एवं शिक्षा के लिए नागरिक यूक्रेन में निवासरत हैं। वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिगत यूक्रेन में निवासरत राज्य के नागरिकों का विवरण नाम, पता मोबाइल नंबर, ई-मेल, पासपोर्ट नंबर प्राप्त किया जाना अपरिहार्य है। ताकि उनकी सुरक्षा के संबंध में विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने एसडीएम रानीखेत व समस्त उप मंडल के एसडीएम को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत की संकलित सूचना, विवरण प्रतिदिन शाम 4 बजे तक अपर डीएम कार्यालय के फैक्स 05962-238073 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

रूस को विमान पुर्जे निर्यात नहीं करेगा ईयू

ब्रूसेल्स। यूरोपीय संघ(ईयू) की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ईयू रूसी एयरलाइनों को विमान के अतिरिक्त पुर्जों और उपकरणों का निर्यात नहीं करेगा। सुश्री वॉन डेर लेयेन ने असाधारण यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद कहा, तीसरा विषय यह है कि रूस की एयरलाइनों को सभी विमानों के स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रूस की अर्थव्यवस्था और देश की कनेक्टिविटी के प्रमुख क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा।

मानव भारती विवि के मालिक के 191 खाते फ्रीज, 194.17 करोड़ की संपत्ति जब्त

शिमला (आरएनएस)। फर्जी डिग्री मामले के आरोपी एवं मानव भरती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा के 191 बैंक खाते हैं। पुलिस एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इन खातों को फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा ईडी ने 194.17 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की है। आरोपी की राजस्थान में विश्वविद्यालय समेत 5 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां हैं। फर्जी डिग्रियां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक बंटी हैं। 20 हजार एजेंटों की मदद से इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फोन भी फोरेंसिक लैब भेजे गये।

जांच में पाया गया कि 41479 डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय की हैं, जिनमें 36,424 फर्जी हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से विधानसभा में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। राणा ने यह मामला सीबीआई को देने की पैरवी की। मंत्री ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर 2012 से ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो अब तक आरोपी राणा को सजा मिल चुकी होती।

यह मामला 2016 में सामने आया, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी कहा था कि मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी कोर्स चल रहे हैं और फर्जी डिग्रियों का मामला भी सामने आया। 16 जनवरी, 2020 को यह मामला कमीशन को भेजा गया था। इसके बाद मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गईं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन तीनों एफआईआर में 62 धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए।

मामले की जांच के लिए 19 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मानव भारती एजुकेशन ट्रस्ट के भी सभी खातों को अटैच कर लिया गया। इसके अलावा ट्रस्ट की जमीन भी अटैच की गई है। ईडी ने 194.17 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। राज कुमार राणा की पत्नी और बेटी के लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 2016 में कमीशन ने भी मानव भारती विश्वविद्यालय को डिग्रियों की जानकारी वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए थे, लेकिन उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

भाजपा सरकार ने खोले 17 निजी विवि, एक पंचायत में तीन-तीन

कांग्रेस विधायक राणा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2008 में एक्ट लाया गया, जिसमें सरकार ने धड़ाधड़ निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी। जिला सोलन में ही एक पंचायत में तीन-तीन निजी विवि खोले गए। एक डिग्री पांच लाख में बिकी। यह घोटाला 20 हजार करोड़ से ज्यादा का है। आरोपी ने वोकेशनल कोर्स शुरू करने से लेकर विश्वविद्यालय तक खोल दिए। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। आरोपी की कुमारहट्टी में 30 बीघा जमीन है। यहां मानव भारती ट्रस्ट स्थापित किया गया है।

हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई पूरी, पूर्ण पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित

बेंगलोर (आरएनएस)। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और पूर्ण पीठ ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में हाईकोर्ट अगले सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुना सकता है। वहीं, हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखीं। जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी को अपनी अंतिम दलीलें यानी फाइनल इनपुट अगले दो दिन में लिखित में देने को कहा है।

बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुच्छेद-25 के दायरे तथा व्यापकता और उसमें दखल की गुजाइंश पर भी बहस हुई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हिजाब पहनने की आदत होने के कारण छूट देने का आग्रह किया तो पीठ ने उनसे पूछा कि किसी संस्थान में जहां एक समान यूनिफॉर्म लागू है, वहां हिजाब की छूट कैसे दे सकते हैं? पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को हिजाब की मजहबी तौर पर अनिवार्यता साबित करने को भी कहा था। पीठ ने कहा कि हम हिजाब पर प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के नाम पर जो हक आप मांग रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं।

ऊना पटाखा फैक्टरी हादसा : दो और महिलाओं ने तोड़ा दम, अब तक आठ की मौत

पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है।

ऊना (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्टरी में गत मंगलवार को लगी आग से घायल हुईं दो महिलाओं ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान गुरुवार रात दम तोड़ दिया। इस हादसे में मृतक महिलाओं की संख्या आठ पहुंच गई है। छह महिलाओं की मौत हादसे वाले दिन ही हो गई थी। अभी पीजीआई में छह घायलों का उपचार चल रहा है।

गुरुवार देर शाम महिलाओं के बेसुध होने पर तीमारदारों ने इसकी सूचना डॉक्टरों को दी। जांच के बाद दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिलाओं की पहचान असगारी (40) पत्नी नोजे निवासी बसेट, बदायूं और जाफरी (45) पत्नी नूर मोहम्मद निवसी फतेहगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। छह घायलों का अभी पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है।

एक घायल पीजीआई पहुंचने के बाद अंबाला स्थित अपने रिश्तेदारों के पास उपचार के लिए चला गया है। तीन घायल क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन थे, जिनमें से एक को छुट्टी दे दी गई है। उधर, डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि दोनों मृतक महिलाओं के परिजनों को 50-50 हजार रुपये फौरी राहत के तौर पर जिला प्रशासन ने प्रदान कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दूसरी पत्नी की संतान को भी अनुकंपा नौकरी का अधिकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी की संतान होने के आधार पर अनुकंपा की नौकरी में नियुक्ति से इनकार करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एवं परिवार की गरिमा के खिलाफ होगा।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ने ऐसे ही एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मुकेश कुमार की विशेष अनुमति याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने मृतक जगदीश हरिजन की दूसरी पत्नी के बेटे होने को आधार बताते हुए रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति के मुकेश के दावे को खारिज कर दिया था।

मुकेश ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ पीठ ने कहा, इस तरह की नियुक्ति से इनकार करने की नीति भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नीति मृत कर्मचारी के बच्चों को वैध और नाजायज के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती। वर्गीकृत करके और केवल वैध वंशज के अधिकार को मान्यता देकर (केवल वंश के आधार पर) किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा योजना और अनुकंपा नियुक्ति के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। खंडपीठ ने भारत संघ बनाम वी के त्रिपाठी (2019) के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले पर भरोसा किया। इस फैसले में यह माना गया था कि किसी कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बच्चे को सिर्फ उसी (दूसरी पत्नी की संतान) आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा एक बार जब कानून ने उन्हें (दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे) वैध मान लिया है तो उन्हें इस अनुकंपा की नीति के तहत विचार किए जाने से अलग करना असंभव होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 16 के तहत संवैधानिक गारंटी का अपवाद है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति की नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के अनुरूप होनी चाहिए।

केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में बच्चों का प्रवेश छह साल की उम्र पूरी करना जरूरी

० केवीएस ने जारी किए दिशा-निर्देश, वेबसाइट पर अपलोड किए गाइडलाइन

भोपाल (आरएनएस)। देशभर के 1200 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में पहली से नौवीं कक्षा तक में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली कक्षा के लिए आनलाइन पंजीकरण 28 फरवरी सुबह 10 बजे से से 21 मार्च शाम 7 बजे तक किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए इस सत्र में बच्चों की उम्र को बढ़ा दिया है। सत्र 2022-23 से कक्षा पहली में पंजीयन के लिए अब बच्चे की उम्र एक मार्च 2022 तक छह साल पूरी होनी चाहिए। हालांकि पहले यह उम्र पांच साल थी। नामांकन फार्म आनलाइन भराए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन(केवीएस) ऐसे में जो भी अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो वे इस दौरान केवीएस की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

केवीएस पहली कक्षा में दाखिले के लिए पहली सूची 25 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी और तीसरी सूची एक अप्रैल और आठ अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके अलावा कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी कक्षा एवं इसके ऊऊपर के कक्षाओं में नामांकन की सूची 21 अप्रैल को सीटें खाली रहने पर जारी की जाएगी। वहीं दाखिले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभिभावकों को स्कूल से भी जानकारी लेनी होगी राजधानी में पांच केंद्रीय विद्यालय है मैदामील स्थित केवी-1, शिवाजी नगर में केवी-2, केवी-3 होशंगाबाद रोड और केवी-4 बंगरसिया और केवी-5 बैरागढ़ में स्थित है। सभी केवी में पहली कक्षा में करीब 650 सीटें उपलब्ध है। अभिभावकों ने कहा कि बहुत दिनों से वे केवी के पंजीयन के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे थे अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो वे आवेदन करेंगे, लेकिन उम्र की सीमा बढ़ाने से कई अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहली कक्षा में कम उम्र में दाखिला कराने से बच्चों के मानसिक स्तर का विकास सही से नहीं हो पाता है।

शहरी स्थानीय निकायों के लिए छह राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपये का अनुदान जारी

नई दिल्ली (आरएनएस) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 6 राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। आज जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें झारखंड (112.20 करोड़ रुपये), कर्नाटक (375 करोड़ रुपये), केरल (168 करोड़ रुपये), ओडिशा (411 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (267.90 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा (14 करोड़ रुपये) शामिल हैं। जारी की गई यह अनुदान राशि छावनी बोर्डों सहित दस लाख से कम आबादी वाले शहरों (नॉन मिलियन प्लस सिटीज-एनएमपीसी) के लिए हैं।

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में बांटा है-

(ए) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) और (बी) दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे (नॉन मिलियन प्लस सिटीज)। 15वें वित्त आयोग ने इन शहरों के लिए अलग से अनुदान देने की सिफारिश की है। दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुल अनुदानों में 40त्न मूल (शर्त रहित) अनुदान है और शेष 60त्न सशर्त अनुदान के रूप में है। मूल अनुदान का उपयोग वेतन भुगतान और अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान विशिष्ट में अनुभव की जा रही जरूरतों के लिए किया जाता है।

दूसरी ओर दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सशर्त अनुदान, मूल सुविधाओं की आपूर्ति में मदद करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जारी किया जाता है। कुल सशर्त अनुदान में से 50त्न राशि स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई है। बकाया 50त्न राशि 'पेय जल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्शोधन (रिसाइक्लिंग)' के लिए निर्धारित है।

हिमाचल सरकार की कड़ी चेतावनी : प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक की तो दर्ज होगा मुकदमा

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों के प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल और बायकॉट पर रोक लगा दी है। प्रदेश में लगातार मुखर हो रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। जिस दिन कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, उस दिन का उनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कानून का उल्लंघन किया तो उसी दिन संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौखिक नसीहत के बाद मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शुक्रवार को कार्मिक विभाग के माध्यम से इस बाबत चेतावनी आदेश जारी किए। सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को यह पत्र जारी किया गया है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।

ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है।

सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन करना और हड़ताल पर जाना नियमों के खिलाफ है। आदेशों में कहा है कि कार्यालयों में ऑफिस टाइम या उसके बाद भी बैठकें की जा रही हैं। कई कर्मचारियों को जबरन प्रदर्शन व हड़ताल के लिए कहा जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सदन में भी मुख्यमंत्री ने आंदोलन करने वाले कर्मचारी नेताओं को चेताया था, कहा था कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन, वेतन आयोग में संशोधन को लेकर चल रहे प्रदर्शन- हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से पदयात्रा चली है। 3 मार्च को इनका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। सातवें वेतन आयोग में संशोधन के लिए संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भी मुखर है। विगत गुरुवार को ही डाक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद स्थगित हुई है।

चुनावी वर्ष में मांगें बजट में शामिल करने के लिए बनाया जा रहा दबाव- प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार के आखिरी बजट सत्र में सभी कर्मचारी वर्ग मांगों को पूरा करवाने के लिए अलग-अलग तरीके से दबाव बनाने में जुटे हैं। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान भी सरकार को कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ा था।

निर्धारित रास्ते से सरकार तक बात पहुंचाएं कर्मचारी : जयराम- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी अपनी बात तरीके से निर्धारित रास्ते से सरकार तक पहुंचाएं। प्रदर्शन करना कोई विकल्प नहीं है। शुक्रवार को भोजन अवकाश के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के समय आंदोलनों को कुचला गया है। आंदोलनों में तब मौत और गिरफ्तारियां तक हुई हैं। राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष में कोई भी सोच समझ वाला आदमी नहीं है। यह सब कुछ विपक्ष करवा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को किसी का एजेंडा नहीं उठाना चाहिए।

कर्मचारियों के धरने पर रोक लगाने से सदन में हंगामा- स्कूटर पर सेब ढुलाई, कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, हड़ताल और गेट मीटिंग पर रोक लगाने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए जनविरोधी कार्यों और स्कूटर पर सेब ढुलाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया।